झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

आपराधिक विविध याचिका संख्या 739/2021

पुष्पा देवी उम्र 50 वर्ष पति बलराम यादव निवासी - शोभनपुर भट्टा, थाना सदर जिला साहिबगंज। .....याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य 2. दारा यादव उर्फ उत्तम, उम्र 21 वर्ष पुत्र बलराम यादव,
3. गौतम यादव, उर्फ गब्बर, उम्र 19 वर्ष, पुत्र बलराम यादव।
4. बलराम यादव, उम्र लगभग 71 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय शिव प्रसाद यादव
5. मिट्ठू यादव, उम्र लगभग 25 वर्ष, पुत्र बलराम यादव
6. दिनेश यादव उर्फ सुखल यादव, उम्र लगभग 52 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय रामू यादव सभी निवासी - गांव - शोभनपुर भट्टा, थाना साहिबगंज जिला

.... उत्तरदाता

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री सब्यसाची अधिवक्ता
श्री सौरभ कुमार दास अधिवक्ता
राज्य की ओर से: श्री पंकज कुमार लोक अभियोजक
सुश्री जे मजूमदार, अधिवक्ता
विपक्षी संख्या 2 के लिए: श्री रोहन मजूमदार, अधिवक्ता
सुश्री निहारिका मजूमदार, अधिवक्ता

वर्तमान माननीय न्यायमुर्ति अनिल कुमार चौधरी
न्यायालय द्वारा: पक्षो की बात सुनी।

2. यह आपराधिक विविध याचिका द्प्रस की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वाह्न करते हुए अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 6982/2019 मे पारित दिनांक 11.10.2019 के आदेश के अनुसार विरोधी पक्षो को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है। जिसके तहत और जहां के तहत, विरोधी पक्ष संख्या 4 से 6 को अग्रिम जमानत का विशेष अधिकार दिया गया था और साहिबगंज (एम) थाना कांड संख्या 69/2017 (जी आर संख्या 395/2017 के संबंध में अब अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 8011/2019 में पारित दिनांक 09.12.2019 के आदेश के अनुसार, इसके तहत और जहां के तहत विरोधी पक्ष संख्या 2 से 3 को अग्रिम जमानत का विशेष अधिकार दिया गया था।

3. यद्यपि इस आपराधिक विविध याचिका में विपक्षी पक्षकार संख्या 2 से 6 को दी गई जमानत को रद्द करने की प्रार्थना की गई है। लेकिन याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत रद्द करने की अपनी प्रार्थना को अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 6982/2019 मे पारित दिनांक 11.10.2019 के आदेश द्वारा विपक्षी पक्ष संख्या 4 से 6 को प्रदान किया गया।

4. तदनुसार अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 8011/2019 मे पारित दिनांक 09.12.2019 के आदेश द्वारा विपक्षी पक्ष संख्या 2 और 3 को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने की प्रार्थना को बिना प्रस्तुत किये नामंजूर कर दिया जाता है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय का ध्यान पुरक हलफनामे में दिनांक 10.10.2023 के पृष्ठ 31 से 32 की ओर आकर्षित करते हुए प्रस्तुत किया गया है कि मामला आब विद्वान जिला दंडाधिकारी, साहिबगंज के समक्ष लंबित है। जिसमें विपक्षी पक्ष संख्या 4 से 6 को शारीरिक रूप से उपस्थित होकर कारण बताओं नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है कि उनके संबंधित जमानतों को रद्द करने के लिए माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, रांची को कोई सिफारिश क्यों न की जाए और इसकी सूचना याचिकाकर्ता को ज्ञापन संख्या 38/डी0बी0 साहिबगंज दिनांक 26.02.2022 के माध्यम से दी गई है।

6. निजी विपक्षी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि विपक्षी दोनों पक्ष विद्वान जिला दंडाधिकारी, साहिबगंज के समक्ष उपस्थित हुए।

7. मामले के उपरोक्त तथ्य और परिस्थितियों पर विचार करते हुए चुकि विद्वान जिला दंडाधिकारी, साहिबगंज मामले की जांच कर रहे हैं, इसलिए विद्वान जिला दंडाधिकारी, साहिबगंज को निर्देश दिया जाता है वे अपनी जांच पूरी करें और इस आदेश की प्राप्ति या प्रस्तुति से 3 महीने की अवधि के भीतर एक तर्कसंगत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

8. इस आपराधिक विविध याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, जे0)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 15 मार्च, 2024
स्मिता/ एएफआर

यह अनुवाद **किरण शंकर मिश्र**, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।